

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 177 /2021 दिनांक : 16.11.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. /148/2021 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा **श्रीमती नुसरत बानो** (RJ0363), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा हाल विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को दिनांक 04.10.2021 से 02.11.2021 तक 30 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश** (Child Care Leave) दिनांक 02.10.2021 से 03.10.2021 एवं 03.11.2021 से 07.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 29.10.2021 से 02.11.2021 तक 05 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश** (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

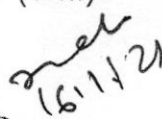

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:- स्था.बी.2 (4)/69/2000/7060

दिनांक : 16.11.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को उनके पत्रांक 362 दिनांक 29.10.2021 के सन्दर्भ में ।
4. **श्रीमती नुसरत बानो** (RJ0363), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक ।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि. प्रकरण), दौसा ।
6. **श्रीमती रेखा चौधरी** (RJ0409), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा ।
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा
8. संबंधित कोषालय ।
9. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक/रजिस्ट्रार